पटना में दिनांक–06 सितम्बर, 2017 बुधवार को अपराह्न 05:30 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

खान एवं भूतत्व विभाग

1. बिहार राज्य अन्तर्गत बिहार खान एवं भूतत्व निरीक्षक सेवा नियमावली, 2009 के नियम–12 एवं अनुसूची–I में संशोधन के प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में। — 1. **स्वीकृत।**

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

2. दिनांक–02.12.2006 को भागलपुर के निकट ट्रेन संख्या–3071 अप (हावड़ा–जमालपुर सुपर एक्सप्रेस) में हुए हादसे में गंभीर रूप से घायल श्री विपिन कुमार, पिता–श्री राजेश्वर भगत, ग्राम–सुन्दरपुर, पो०+थाना– पीरपैंती, जिला–भागलपुर को राहत प्रदान करने हेतु अनुग्रह अनुदान की अवशेष राशि ₹ 30,000/–(तीस हजार रूपये) मात्र का भुगतान स्वीकृत करने के संबंध में। — 2. **स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

3. बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल 2698 (दो हजार छः सौ अनठानबे) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 3. **स्वीकृत।**

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

4. वर्ष 1989–90 के भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा में मृत/लापता व्यक्तियों के आश्रित बीबी जुलेखा, पति–स्व० मो० मोईन, ग्राम–लौगांय, अंचल–गोराडीह, जिला–भागलपुर को अनुग्रह अनुदान देने हेतु साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग (सम्प्रति आपदा प्रबंधन विभाग) के पत्रांक–293–सा०आ०, दिनांक–29.12.1989 की कंडिका –1 के नोट को शिथिल करने के संबंध में। — 4. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

5. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–83 के पटना–गया–डोभी खण्ड (किमी 0.000 से किमी 127.358 तक) के चौड़ीकरण हेतु गया जिलान्तर्गत अंचल–बोधगया एवं डोभी के विभिन्न मौजा एवं थाना के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल– 1.9417 हेक्टेयर (अर्थात 4.798 एकड़) भूमि (भूमि विवरणी संलग्न–परिशिष्ट–I) यथास्थिति में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (N.H.A.I), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 5. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

6. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–82 (गया–हिसुआ–राजगीर–बिहारशरीफ) के 4 लेनिंग परियोजना हेतु नवादा जिलान्तर्गत अंचल– मेसकौर, हिसुआ एवं नारदीगंज के विभिन्न मौजा एवं थाना के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल–9.65 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न– परिशिष्ट–I) "यथास्थिति" में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (N.H.A.I), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। 6. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

7. कार्यभारित स्थापना के कर्मियों के नियमित स्थापना में आने के बाद कालबद्ध प्रोन्नति दिए जाने के संबंध में। 7. **स्वीकृत।**

सहकारिता विभाग

8. एल०पी०ए० संख्या–412/08 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–06.05.15 को पारित आदेश के अनुपालन में सहकारिता विभाग के अधिसूचना सं०–217, दिनांक–15.01.99 द्वारा श्री हेमचन्द्र सिंह के सेवा से बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करते हुए उनके बर्खास्तगी की तिथि से उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने संबंधी आदेश निर्गत करने एवं स्व० सिंह के वैध उत्तराधिकारियों को अनुमान्य सेवांत लाभ यथाशीघ्र भुगतान करने के संबंध में। 8. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

9. दरभंगा जिलान्तर्गत बहेड़ी को नगर परिषद् घोषित करने के संबंध में। 9. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

10. पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रथम किस्त के रूप में ₹ 520.725 करोड़ (पाँच सौ बीस करोड़ बहत्तर लाख पचास हजार रू०) मात्र राज्य में कार्यरत 140 नगर निकायों के बीच सहायक अनुदान के रूप में वितरित करने की स्वीकृति के संबंध में। 10. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

11. केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित पथ प्रमंडल, किशनगंज के अन्तर्गत भोटा थाना–आजादनगर– आमबारी –बुधरा–पोठिया पथ के कि०मी० 0.00 से 12.90 तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य एवं क्रॉस ड्रेनेज कार्य सहित 100m लंबाई का उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य (जॉब सं०–CRF-BR-2017-18/72) कुल ₹ 4333.94 लाख (तैंतालीस करोड़ तैतीस लाख चौरानबे हजार) के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 11. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

12. केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित पथ प्रमंडल, किशनगंज के अन्तर्गत बगलवारी–रहमतपारा–अलता–बरबट्टा पथ के कि०मी० 1.00 से 21.00 (अंश) तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य एवं क्रॉस ड्रेनेज का निर्माण कार्य (जॉब सं०–CRF-BR-2017-18/73) कुल ₹ 4990.07 लाख (उन्नचास करोड़ नब्बे लाख सात हजार) के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 12. **स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

13. माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु बिहार वित्त सेवा के वरीय संयुक्त आयुक्त श्री सूर्यदेव प्रसाद तिवारी एवं स्व० विश्वनाथ सहाय को दिनांक–31.03.1987 के भूतलक्षी प्रभाव से आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति हेतु अपर आयुक्त कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान् 2600–3200) के दो अधिसंख्य पद का सृजन एवं भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने के संबंध में। 13. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

14. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति, राज्य कर्मियों को वेतन/भत्तों पर अनुशंसा देने हेतु गठित राज्य वेतन आयोग की अवधि दिनांक–30.09.2017 तक विस्तारित किये जाने के संबंध में। 14. **स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

15. राज्य के छः जिलों यथा पूर्णिया, सहरसा, जमुई, शेखपुरा, बक्सर एवं सुपौल में नवस्वीकृत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए प्रति संस्थान 65 (पैंसठ) शैक्षणिक तथा 51 (इक्यावन) गैर शैक्षणिक अर्थात कुल 390 शैक्षणिक तथा 306 गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 15. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

16. "बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त्तें) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017" एवं "बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त्तें) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017" की स्वीकृति के संबंध में। 16. **स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

17. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत वर्ष 2002 से 2006 के बीच संबंधित जन वितरण प्रणाली बिक्रेताओं द्वारा उठाव किए गए खाद्यान्न के अवशेष अंश की वसूली के दायित्व निर्धारण हेतु गठित त्रिसदस्यीय आयोग को पुनर्गठित कर न्यायमूर्ति श्री उदय सिन्हा (सेवानिवृत्त), पटना उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन (Commission of inquiry Act, 1952) एवं न्यायिक जांच आयोग के कार्यकाल को छः माह यथा 18.07.2017 से 17.01.2018 तक बढ़ाने के संबंध में।

17. **स्वीकृत।**

संसदीय कार्य विभाग

18. षोडश बिहार विधान सभा के सप्तम–सत्र एवं बिहार विधान परिषद् के 186वें सत्र के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में।

18. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

19. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–82 के 4–लेनिंग परियोजना (गया– हिसुआ– राजगीर– बिहारशरीफ) हेतु गया जिलान्तर्गत अंचल–मानपुर, नगर एवं वजीरगंज के विभिन्न मौजा एवं थाना के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल–10.65962 हेक्टेयर (अर्थात 26.3404 एकड़) भूमि (भूमि विवरणी संलग्न–परिशिष्ट–I) यथास्थिति में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (N.H.A.I) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

19. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

20. मंत्रिपरिषद् की बैठक दि०–20.01.2015 मद सं०–21 के क्रम में विभाग द्वारा निर्गत राज्यादेश ज्ञापांक–211, दि०–24.02.15 को रद्द करते हुए समस्तीपुर जिलान्तर्गत पूसा अंचल के मौजा–हरपुर, थाना नं०–06, खाता सं०–1303, (खेसरा सं० एवं रकबा किस्म की सूची संलग्न–विवरणी अनुलग्नक–I) के कुल रकबा– 153.37 एकड़ (एक सौ तिरपन एकड़ सैंतीस डिसमिल) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के अधीनस्थ ईख अन्वेषण संस्थान, पूसा की भूमि 1 रू० प्रति एकड़ सलामी एवं 1 रू० प्रति एकड़ वार्षिक लगान अलावे सेस के भुगतान पर 99 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ बोरलाग इंस्टीच्युट फॉर साउथ एशिया (BISA) की स्थापना के लिए कृषि मंत्रालय, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार को लीज पर देने के संबंध में।

20. **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

21. बिहार सामाजिक सुरक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017 प्रवृत्त करने के संबंध में। — 21. **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

23. मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में अनुदान के दर को 50000.00 रू० (पचास हजार रू०) से बढ़ाकर 100000.00 रू० (एक लाख रू०) करने के संबंध में। — 23. **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

24. बिहार बाल विकास सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2017 प्रवृत्त करने के संबंध में। — 24. **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

25. बिहार बाल संरक्षण सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) (संशोधन) नियमावली, 2017 प्रवृत्त करने के संबंध में। — 25. **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

26. बिहार समेकित बाल विकास सांख्यिकी सहायक संवर्ग नियमावली, 2017 प्रवृत्त करने के संबंध में। — 26. **स्वीकृत।**

आपदा प्रबंधन विभाग

27. राज्य में बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच प्रति परिवार 1 फूड पैकेट का वितरण किये जाने हेतु फूड पैकेट्स के अनुमानित दर 275/–(दो सौ पचहत्तर) रूपये प्रति पैकेट के आधार पर कुल 104.78 करोड़ (एक सौ चार करोड़ अठहत्तर लाख) रूपये व्यय की राशि का वहन राज्य सरकार के कल्याणकारी कदम के तहत् राज्य निधि से किये जाने एवं बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम द्वारा राशि उपबंधित कराने के संबंध में। — 27. **स्वीकृत।**

आपदा प्रबंधन विभाग

28. बाढ़ के मद्देनजर स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष–2245 –प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–02– बाढ़–चक्रवात आदि के विभिन्न लघु/उपशीर्षों के अन्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि से ₹ 412.00 (चार सौ बारह करोड़ रूपये) अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। — 28. **स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

29. बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अधीन अधिसूचनाओं के निर्गमन के संबंध में। — 29. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

30. भारत सरकार के Online Portal Government e-Market Place (GeM) से सामग्रियों/सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु राज्य सरकार एवं भारत सरकार के बीच Memorandum Of Understanding करने की स्वीकृति। — 30. **स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

31. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बिहार–विलंब से मजदूरी भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति भुगतान नियमावली, 2017 के संबंध में। — 31. **स्वीकृत।**

"अन्यान्य"

निर्वाचन विभाग

32. संविधान की धारा 171 (3)(e) के साथ पठित धरा 171 (5) के तहत बिहार विधान परिषद् में मनोनयन द्वारा भरे जाने वाले सदस्यों के रिक्त या रिक्त होने वाले पदों पर मनोनयन हेतु महामहिम राज्यपाल को अनुशंसा भेजने के लिए मुख्यमंत्री को प्राधिकृत किया गया।